जनजातीय उपयोजना अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) का जिलावार वित्तीय लक्ष्य विवरणी वर्ष 2008–09

(राशि रू० लाख में)

क्र.सं.	जिला का नाम	आर०के०वी०वाई			राज्य			योग
		बजटशीर्ष-मांग सं०-51 (निजी योजना), लघुशीर्ष- जनजातीय उपयोजना, मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष-796-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष-44-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, विस्तृतशीर्ष-56-अनुदान, 31-सहायिकी (01P240100796440652)	बजटशीर्ष-मांग सं०-51 (राज्य योजना), लघुशीर्ष- जनजातीय उपयोजना, मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष-796-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष-44-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, विस्तृतशीर्ष-57-अन्य व्यय, 59-अन्य व्यय (01P240100796440759)		बजटशीर्ष-मांग सं०-51 (राज्य योजना), लघुशीर्ष- जनजातीय उपयोजना, मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष-796-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष-44-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, विस्तृतशीर्ष-56-अनुदान, 31-सहायिकी (01P240100796440652)	बजटशीर्ष-मांग सं०-51 (निजी योजना), लघुशीर्ष- जनजातीय उपयोजना, मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष-796-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष-44-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, विस्तृतशीर्ष-57-अन्य व्यय, 59-अन्य व्यय (01P240100796440759)		
1	कृषि निदेशक, झारखण्ड, रांची	516.93	24.5	541.43	68.63	-	68.63	610.06
2	उपायुक्त, रांची	247.6		247.60	112.30	-	112.30	359.90
3	उपायुक्त, गुमला	135.3		135.30	61.20	-	61.20	196.50
4	उपायुक्त, सिमडेगा	86.25		86.25	39.25	-	39.25	125.50
5	उपायुक्त, लोहरदगा	61.65		61.65	28.05	-	28.05	89.70
6	उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम	110.75		110.75	50.40	-	50.40	161.15
7	उपायुक्त, प०सिंहभूम	184.65		184.65	84.00	-	84.00	268.65
8	उपायुक्त, गढ़वा	16.1		16.10	9.35	-	9.35	25.45
9	उपायुक्त, लातेहार	86.25		86.25	39.25	-	39.25	125.50
10	उपायुक्त, सरायकेला	98.5		98.50	44.80	-	44.80	143.30
11	उपायुक्त, दुमका	123.05		123.05	55.80	-	55.80	178.85
12	उपायुक्त, गोड्डा	32		32.00	18.60	-	18.60	50.60
13	उपायुक्त, जामताड़ा	49.25		49.25	22.30	-	22.30	71.55
14	उपायुक्त, साहेबगंज	157.37		157.37	97.47	-	97.47	254.84
15	उपायुक्त, पाकुड़	73.85		73.85	33.60	-	33.60	107.45
	कुल योग	1979.5	24.5	2004.00	765.00	-	765.00	2769.00

33 आ० प्र०
20.02.09

Amrendra P. Singh
सरकार के सचिव

झारखण्ड सरकार
कृषि एवं गन्ना विकास विभाग

पत्रांक-3/कृषि राज्य योजना-40/2008 33 अ॰ प्रा॰ रांची, दिनांक 20.02.09

प्रेषक,

अमरेन्द्र प्रताप सिंह,

सरकार के सचिव।

सेवा में,

कृषि निदेशक, झारखण्ड, रांची।

सभी उपायुक्त, झारखण्ड।

विषयः राज्य योजनान्तर्गत "राष्ट्रीय कृषि विकास योजना"(शतप्रतिशत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता अनुदान) का चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए की योजना हेतु रू 27.69 करोड़ (सत्ताईस करोड़ उनहत्तर लाख रूपये) मात्र का निधि आवंटन।

प्रसंगः विभागीय राज्यादेश सं0-63, दि0-19.02.09

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक राज्यादेश सं0-63, दि0-19.02.09 के आलोक में **रू 27.69 करोड़** (सत्ताईस करोड़ उनहत्तर लाख रूपये) मात्र की राशि से संबंधित योजना के कार्यान्वयन हेतु **संलग्न विवरणी** में यथा वर्णित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उनके पदनाम के सामने अंकित निधि आवंटित की जाती है।

2. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि **रू 54.14 करोड़** में से **रू 27.69 करोड़ (सत्ताईस करोड़ उनहत्तर लाख रूपये)** की निकासी बजटशीर्ष-मांग सं0-01(राज्य योजना), **समूहशीर्ष-जनजातीय उपयोजना**, मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष-796-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष-44-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, विस्तृतशीर्ष-06-अनुदान, 52-सबसिडी (01P240100796440652) से एवं विस्तृतशीर्ष-07-अन्य व्यय, 59-अन्य व्यय (01P240100796440759) से की जाएगी।

3. योजनान्तर्गत **रू 27.69 करोड़ (सत्ताईस करोड़ उनहत्तर लाख रूपये)** मात्र का निधि आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-2561/वि0(2)दि0 17.04.1998 एवं पत्रांक 322, दि0 28.01.02, पत्रांक-1800/वि0, दि0-15.07.03, पत्रांक-533/वि0, दि0-03.03.04 कोषागार संहिता के नियम 300 तथा समय समय पर निर्गत अन्य सुसंगत वित्तीय नियमों के आलोक में आपको आवंटित की जाती है।

4. आवंटित राशि का व्यय "राष्ट्रीय कृषि विकास योजना" के लिए भारत सरकार द्वारा तैयार किया गए दिशा निर्देश के अनुसार किया जाएगा।

5. योजनाओं का क्रियान्वयन "आत्मा" के सहयोग से यथासंभव विभागीय पदाधिकारी/कर्मचारी के माध्यम से कराया जाएगा।

6. आवंटित राशि का व्यय वित्तीय नियमावली भाग-1 के नियम-475 में किये गये निर्देश के आलोक में किया जाय। इसके साथ ही कोषागार संहिता/वित्तीय नियमावली/बजट मैनुअल तथा अन्य

33 अ॰ प्रा॰
20.02.09

सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय।

7. आवंटित निधि की निकासी संबंधित राज्यादेश **सं0-63, दि0-19.02.09** में निहित शर्तों के आलोक में निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप सभी संबंधित वित्तीय नियमावली/कोषागार संहिता तथा राज्यादेश में वर्णित शर्तों एवं अनुदेशों का अक्षरशः पालन करते हुए की जाएगी। आवंटित निधि से अधिक अथवा किसी भी प्रकार की अनियमित व अवैध निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदा0 स्वयं जिम्मेवार होंगे।

8. आवंटित निधि की निकासी संबंधी विपत्रों पर मुख्यशीर्ष, समूहशीर्ष, लघुशीर्ष, एवं उपशीर्ष का स्पष्ट रुप से उल्लेख किया जायेगा। अन्य लेखा आंकड़ों में वर्गीकरण त्रुटियों की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

9. योजनान्तर्गत असमायोजित अग्रिम का नियमित समायोजन निकासी एवं व्ययन पदा0 द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

10. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योजनान्तर्गत लिए पूर्वानुमति के प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से अधिक व्यय न हो।

11. राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व तरह संतुष्ट हो लें कि कार्य की डुप्लीकेटिंग नहीं हो रही है।

12. सामग्री के क्रय/स्रोत पर आयकर(**TDS**)**VAT** कटौती संबंधित वित्त विभाग के पत्रांक-3627/। दि0-02.12.08, सचिव, उद्योग का पत्रांक-1851, दि0-30.12.08, सचिव, मंत्रिमंडल निगरानी का पत्रांक-721, दि0-19.12.08, सदस्य, राजस्व पर्षद का पत्रांक-2860 एवं 2861(अनु0) दि0-19.12.08 एवं मुख्य सचिव का पत्रांक-2843, दि0-17.12.08 का सख्ती से पालन किया जाय।

13. सभी अभिलेखों को अंकेक्षण हेतु सुरक्षित रखना। अंकेक्षण आपत्तियों का प्राथमिकता से अंकेक्षण के दौरान प्राप्त प्रतिवेदन का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करते हुए उसे **Drop** कराना। साथ ही साथ प्रासंगिक मद की राशि की निकासी के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में इस मद के व्यय में यदि कोई अंकेक्षण आपत्ति (पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदन) हो तो उसका निराकरण करा लिया गया है। कोई लम्बित DC विपत्र हो तो तुरंत प्रेषित किया जाय।

14. कृषि निदेशक, झारखण्ड, रांची आंवटित निधि की निकासी कर निदेशक, समेति, झारखण्ड, रांची को योजना कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध करा देगें।

15. उपायुक्त, हजारीबाग/रांची आंवटित निधि की निकासी कर क्रमशः रामगढ़ एवं खूंटी जिले को भी राशि उपलब्ध कराएगें। यह वितरण प्रखण्डों की संख्या के आधार पर समानुपातिक रूप से कर देंगे।

16. आवंटित निधि का व्यय निर्धारित मद एवं मापदण्डों के अनुसार उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिए राशि आवंटित की जा रही है। किसी भी प्रकार के विचलन एवं अनियमित व्यय के लिए निकासी एवं व्ययन पदा0 जिम्मेवार होंगे।

17. राशि निकासी के तुरंत बाद व्यय प्रतिवेदन डी0वी0सं0 के साथ विभाग को निश्चित रुप से उपलब्ध कराया जायेगा।

33 आ. प्र.
20.02.09

18. वित्त विभाग के पत्रांक 627 दि0 12.02.2002 के आलोक में आवंटित राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र(महालेखाकार द्वारा निर्गत) की आवश्यकता नहीं होगी।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

Anvendra P. Singh 20/02/09

सरकार के सचिव

ज्ञापांक– 33 आ.भी. रांची, दिनांक– 20.02.09

प्रतिलिपि– महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/विकास आयुक्त, झारखण्ड, रांची/सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, रांची/सम्बंधित सभी आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।

Anvendra P. Singh 20/02/09

सरकार के सचिव

ज्ञापांक– 33 आ.भी. रांची, दिनांक– 20.02.09

प्रतिलिपि– सम्बंधित सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाइ हेतु प्रेषित।

Anvendra P. Singh 20/02/09

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–33 आ.भी. रांची, दिनांक 20.02.09

प्रतिलिपि: उप सचिव–सह–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/अवर सचिव(योजना), कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड, रांची/निदेशक समेति, झारखण्ड, रांची/निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, झारखण्ड, रांची/सभी संयुक्त कृषि निदेशक, झारखण्ड/उप निदेशक, उद्यान, रांची/सभी परियोजना निदेशक "आत्मा", झारखण्ड/ सभी जिला कृषि पदाधिकारी/जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/जिला उद्यान पदाधिकारी/योजना शाखा–3 कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड रांची(10) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

Anvendra P. Singh 20/02/09

सरकार के सचिव